

सं०सं०-1/प०अ०-07/2017- 77 (1)ब०

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सचिवदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

विभागाध्यक्ष-सह-नियंत्रण पदाधिकारी,
बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एवं अकुपेशनलथेरापी,
विकलांग भवन अस्पताल, कंकड़बाग, पटना।

पटना, दिनांक- 28 / 12 / 2017


विषय:- विकलांग भवन अस्पताल, कंकड़बाग, पटना को विपत्र कोड-20-2210011100001 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल रू० 21,50,000/- (रुपये एककीस लाख पचास हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागाध्यक्ष-सह-नियंत्रण पदाधिकारी, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एवं अकुपेशनलथेरापी, विकलांग भवन अस्पताल, कंकड़बाग, पटना के पत्रांक- 777/17, दिनांक-25.11.2017 के आलोक में विभागाध्यक्ष, विकलांग भवन अस्पताल, कंकड़बाग, पटना को विपत्र कोड-20-2210011100001 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यालय व्यय, सामग्री एवं पूर्तियाँ तथा संविदा सेवाएँ मद में कुल रू० 21,50,000/- (रुपये एककीस लाख पचास हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की जाती है-

बजट शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व का कुल संयुक्त आवंटन	विकलांग भवन, कंकड़बाग को वर्तमान आवंटन	विकलांग भवन, कंकड़बाग को कुल आवंटन	अद्यतन कुल संयुक्त आवंटन	शेष राशि
0001.13.01 कार्यालय व्यय	15000000	14500000	500000	1200000	15000000	0
0001.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	12500000	12250000	250000	450000	12500000	0
0001.28.02 संविदा सेवाएँ	118824000	109118000	1400000	3400000	110518000	8306000
कुल योग :-	146324000	135868000	2150000	5050000	138018000	8306000


- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक-06.05.06 एवं 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विभागाध्यक्ष, विकलांग भवन अस्पताल, कंकड़बाग, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।
- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0001-पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड-20-2210011100001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से की जाएगी।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।



क्रमशः

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।
7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
8. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
9. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।
10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन /


26/12/17

(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक-1/प0अ0-07/2017-77 (1) व0

/स्वा0, पटना, दिनांक- 28 / 12 / 2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


26/12/17
सरकार के विशेष सचिव